रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 19 अप्रैल, 2004/30 चैत्र, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

बिलासपुर, 25 मार्च, 2004

संख्या-घी0 एल0 पी0-पंच-6-16/79-II-1451-55.—क्योंकि ग्राम पंचायत झबोला, विकास खण्ड झण्डूता ने पत्र दिनांक 1-3-2004 के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, झण्डूता के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जगदीश चन्द धीमान, निवासी झबोला, जिला बिलासपुर जोकि ग्राम पंचायत झबोला के प्रधान के पद पर निर्वाचित घोषित हुए थे, की दिनांक 22-2-2004 को मृत्यु हो गई है । जिस कारण उक्त पद रिक्त हो गया है ।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) तथा (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर के ग्राम पंचायत झबोला के प्रधान पद को उसकी मृत्यु की दिनांक 22-2-2004 से रिक्त घोषित करता हूं ।

बिलासपुर, 2 अप्रैल, 2004

संख्या बी0 एल0 पी0-पंच4-67/68-II-1564-71.—इस कार्यालय को सूचित किया गया कि श्री ज्ञान सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मल्यावर, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर ने गांव मल्यावर में खसरा नं0 937 में विद्यमान भूमि में से 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा किया है। इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार घुमारवीं से करवाई गई है तथा यह आरोप सिद्ध होने पर उक्त पंचायत पदाधिकारी को हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) व 131(2) के अन्तर्गत नोटिस दिया गया है कि क्यों न इस आरोप पर उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए उप-प्रधान के पद को रिक्त घोषित किया जाए। इस बारे उन्हें दिनांक 20-3-0004 को प्रातः 11.00 बजे अपना पक्ष रखने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख पेश होने के लिए कहा गया था। परन्तु वे न तो व्यक्तिगत पेश हुए व न ही लिखित रूप में उत्तर दिया है, जिससे सिद्ध होता है कि वास्तव में ही उन्होंने उक्त भूमि पर अवैध कब्जा किया है,

और क्योंकि हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) के अन्तर्गत उक्त श्री ज्ञान सिंह, ग्राम पंचायत मल्यावर के उप-प्रधान के पद पर नहीं बने रह सकते ।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) के अन्तर्गत उप-प्रधान पद से अयोग्य घोषित करते हुए धारा 131(2) के अन्तर्गत श्री ज्ञान सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मल्यावर के पद को रिक्त घोषित करता हूं तथा उन्हें आदेश देता हूं कि यदि उक्त उप-प्रधान के पास ग्राम पंचायत की कोई वस्तु, धनराशि या अभिलेख हो तो उसे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मल्यावर को सौंप दें।

सुभाषीश पांडा,
उपायुक्त,
बिलासपुर, जिला बिलासपुर ।

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 6 अप्रैल, 2004

संख्या एस0 एल0 एन0-3-92 (पंच)/92-III-2041-046.—खण्ड विकास अधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0) ने अपने कार्यालय पत्र संख्या डी0 वी0 ना0 (पंच)/2004-3834, दिनांक 9-3-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड से श्री राम सरूप, प्रधान, ग्राम पंचायत रतवाड़ी, नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) का निधन 21-2-2004 को हो गया है। जिसके फलस्वरूप उसका पद रिक्त हो गया है।

अतः मैं, राजेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0) पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थान को उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से रिक्त घोषित करता हूं।

कारण बताओ नोटिस

सोलन, 6 अप्रैल, 2004

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2002-2047-052.—यह कि श्री राजेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत कनर, वार्ड नं0 2, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0) का ध्यान हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122(1) के खण्ड (ण) की ओर आकर्षित करते हुए निम्नलिखित सूचित किया जाता है :—

(ग) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है; परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निर्रहता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे आरम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान है, जब तक उसकी उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती ।

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, दिनांक 8-6-2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 (1) के खण्ड (ण) का प्रावधान 8-6-2001 से प्रभावी होता है ।

यह कि श्री राजेश कुमार सदस्य, ग्राम पंचायत कनर, वार्ड नं0 2, की उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के लागू होने से पूर्व दो जीवित सन्तानें हैं, और खण्ड विकास अधिकारी, कण्डाघाट ने अपने पत्र संख्या के0डी0वी0 (पंच)/9/2-त्याग-पत्र-3125, दिनांक 17-3-2004 द्वारा सूचित किया है कि उक्त सदस्य के एक अतिरिक्त तीसरी सन्तान दिनांक 30-1-2004 को हुई है जिसके फलस्वरूप श्री राजेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत कनर, वार्ड नं0 2, विकास खण्ड कण्डाघाट, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के प्रावधान अनुसार सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गए है।

अत: श्री राजेश कुमार, सदस्य उपरोक्त को निर्देश दिए जाते हैं कि वह नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मद्रित तथा प्रकाशित ।